न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/557

कृष्ण गोपाल आत्मज स्वर्गीय श्री गणेशराम जाति लुहार निवासी ग्राम दोबडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा हाल निवासी गोविन्द नगर मकान नम्बर 9/79 कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. मोहिनी पुत्री स्व0 श्री मोतीलाल जी पत्नी स्व0 श्री रामलाल जी जाति पांचाल निवासी ग्राम बडवा तहसील अंता जिला बारां ।
2. अयोध्या पुत्री स्व0 श्री मोती लाल जी पत्नी श्री प्रभूलाल जाति पांचाल निवासी कच्ची बस्ती अनंतपुरा कोटा ।
3. स्वर्गीय लक्ष्मण आत्मज स्व0 श्री गणेशराम जाति लुहार निवासी ग्राम दोबडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा जरिये कायममुकामान :–
   3/1. हरिशंकर
   3/2. बद्रीलाल पिसरान स्व0 श्री लक्ष्मण जी जाति लुहार निवासीगण ग्राम दोबडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   3/3. ग्यारसी बाई पुत्री स्व0 श्री लक्ष्मण जी पत्नी श्री ओमप्रकाश जी जाति लुहार निवासी ग्राम खैराबाद रोड बस स्टेण्ड के सामने रामगंजमण्डी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
   3/4. श्रीमती रूकमणी बाई बेवा स्व0 श्री लक्ष्मण जी जाति लुहार निवासी ग्राम दोबडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री शम्भूदयाल विजय, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 22.04.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट कृष्णगोपाल एवं वादी रेस्पोडन्ट क्रम 3 मृतक लक्ष्मण ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम नयागॉव तहसील लाडपुरा जिला कोआ में कुल 04 किता की 29 बीघा 02 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादीगण के पिता गणेश राम व प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 के पिता मोती लाल के शामलाती खाते में सेटलमेंट से पूर्व दर्ज चली आ रही है । उक्त भूमि में वादीगण के पिता गणेश राम का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के पिता का 1/2 हिस्सा था । उक्त भूमि का पारिवारिक विभाजन के अनुसार प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के पिता मोतीलाल जी के कब्जे काश्त में खसरा नम्बर 10 की 10 बीघा साढे सात बिस्वा व खसरा नम्बर 23 की 03 बीघा 16 बिस्वा भूमि चली आ रही थी । उक्त भूमि में से प्रतिवादी क्रम 1व 2 के पिता मोतीलाल ने खसरा नम्बर 10 की रकबा 10 बीघा साढे सात बिस्वा आराजी का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 14.07.1971 को दुर्गाशंकर व देवीलाल को कर कब्जा संभला दिया और उक्त भूमि क्रेतागण के खातेदारी में दर्ज हो चुकी है । इसी प्रकार मोतीलाल ने खसरा नम्बर 23 की 03 बीघा 16 बिस्वा भूमि दिनांक 14.07.1971 को वादीगण को जरिये रजिस्टर्ड बेचान पत्र से बेचान कर कब्जा संभला दिया । मोतीलाल जी अपने हिस्से की ग्राम नयागॉव की आराजी को बेचान कर चुके हैं । सेटलमेंट अधिकारियों ने उक्त भूमि के खातेदार गणेशराम व मोतीलाल की मृत्यु के बाद उसके नये खसरा नम्बर कायम कर वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया जबकि उक्त भूमि में मोतीलाल का कोई हिस्सा शेष नहीं रहा । प्रतिवादी क्रम 1व 2 का नाम गलत रूप से दर्ज किया गया है जिसे विलोपित किया जाना आवश्यक है । इसी प्रकार ग्राम कोथला तहसील लाडपुरा जिला कोटा में कुल 02 किता की 20 बीघा 02 बिस्वा भूमि स्थित थी । उक्त भूमि में वादीगण के पिता गणेश राम जी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के पिता का 1/2 हिस्सा थ । प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के पिता मोती लाल जी ने अपने हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 164 की 12 बीघा 19 बिस्वा में से अपने हिस्से की 09 बीघा भूमि का जरिये रजिस्टर्ड बेचान पत्र से दिनांक 14.07.1971 को वादीगण को बेचान कर कब्जा संभला दिया । ग्राम कोथला की भूमि में भी मोतीलाल का कोई हिस्सा शेष नहीं रहा है । सेटलमेंट अधिकारियों ने ग्राम कोथला की भूमि में भी नये खसरा नम्बर कायम कर 1/2 हिस्सा मोती लाल के नाम दर्ज कर दिया जबकि मोतीलाल अपने हिस्से की भूमि को पूर्व में ही जरिये रजिस्टर्ड बेचान पत्र से बेचान कर कब्जा संभला चुके हैं। इसी प्रकार ग्राम डोबडा की आराजी कुल 04 किता की 16 बीघा 09 बिस्वा वादीगण के पिता गणेशराम एवं प्रतिवादी क्रम 1व 2 के पिता मोतीलाल के शामलाती खाते में सेटलमेंट से पूर्व दर्ज चली आ रही थी । ग्राम डोबडा की भूमि में अपने हिस्से की भूमि को वादीगण के पिता को दिनांक 19.05.1970 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान पत्र से बेचान कर कब्जा संभला दिया था। सेटलमेंट विभाग ने ग्राम डोबडा की आराजी के नये खसरा नम्बर कायम कर उक्त भूमि में भी मोतीलाल जी का 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया जबकि मोतीलाल जी अपने हिस्से की भूमि को पूर्व में ही वादीगण के पिता को जरिये रजिस्टर्ड बेचान पत्र से बेचान कर चुके हैं । प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज होने से बदनियतिपूर्वक उक्त भूमि को रहन, बेचान करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि ग्राम नयागॉव तहसील लाडपुरा जिला कोटा की कुल 04 किता की 2.76 हैक्टर भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे । ग्राम कोथला की कुल 04 किता की 3.09 हैक्टर एवं ग्राम डोबडा की कुल 07 किता की 2.51 हैक्टर भूमि का

वादीगण को खातेदार दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे तीनों गॉवों की भूमियों को अथवा उसके किसी भाग को विक्रय व खुर्द–बुर्द अन्तरण रहन व भरयुक्त आदि नहीं करे तथा वादीगण को उसके कब्जे काश्त से नहीं रोकें और भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत पैदा नहीं करें तथा वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित किया जावे ।

4. प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने जवाबदावा पेश कर वादीगण के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 18.05.2017 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.05.2017 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट कृष्ण गोपाल ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर से ध्यान नहीं दिया कि तीनों ग्रामों की आराजी में से मृतक मोतीलाल ने अपने हिस्से का बेचान जरिये रजिस्टर्ड बेचान पत्र से कर दिया था । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की सूचना अपीलान्ट को नहीं दी थी । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है और न ही पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का कोई राजीनामा हुआ है । अधीनस्थ न्यायालय ने वाद को खारिज करने के साथ डिक्री नहीं बनायी है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी वर्ष 2012 से पैरालाइसीस बीमारी से ग्रसित होने से चलने फिरने में असमर्थ था । दिनांक 30.08.2018 को प्रार्थी अपने वकील साहब से मिला जिन्होंने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थी को जानकारी की कि प्रार्थी का वाद खारिज कर दिया जिसकी नकल हेतु दिनांक 03.09.2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 द्वारा जवाबप्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी द्वारा जो विलम्ब के जो कारण बताएं हैं वे उचित एवं संतोषप्रद नहीं है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का खारिज फरमाया जावे ।

9. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट व रोस्पोडेन्ट कम 3 से 6 के पिता एवं पति लक्ष्मण आत्मज गणेशराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया था जिसका जवाबदावा पेश होने के बाद तनकीयात कायम की गई । पत्रावली साक्ष्य वादी में लम्बित थी । पत्रावली दिनांक 14.12.2015 तक तलबी कायम मुकामान में जैरकार थी इसके बाद इसे लोक अदालत में रखा गया और दावा खारिज किया गया है । रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 के द्वारा एक दावा अन्तर्गत धारा 53 एवं 88 का अधीनस्थ न्यायालय में वाद संख्या 286/09 पेश किया गया था जिसमें सम्पूर्ण आराजी का वर्णन नहीं किया गया । अपीलान्ट ने विस्तृत जवाब पेश किया था इस दावे को अपीलान्ट के वाद के साथ समेकित नहीं किया गया। वादीगण की ओर से कोई पक्षकार उपस्थित नहीं था उनकी अनुपस्थिति दर्ज करते हुए दावा खारिज किया जा सकता है परन्तु मेरिट पर निर्णय पारित नहीं किया जा सकता । माननीय उच्च न्यायालय में अपीलान्ट के द्वारा जो रिट याचिका माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के खिलाफ पेश की गई थी वो दिनांक 17.01.2019 को स्वीकार की जा चुकी है और 06 माह में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने के निर्देश दिये गये हैं । इसी दावे के साथ अपीलान्ट के इस दावे का निर्णय एक साथ हो सकता है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

11. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील अवधि बाधित है, विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया है अपीलान्ट लोक अदालत में उपस्थित हुए हैं । रेस्पोडेन्टगण के पक्ष में जो निर्णय हुआ है वो माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ने भी बहाल रखा है और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा रिमाण्ड किया गया है उस प्रकरण का अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार निरस्तरण कर दिया जावेगा । अपीलान्ट के द्वारा पेश किये गये दावे को अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.05.2017 बहाल रखा जावे ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताएं हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

13. अधीनस्थ न्यायालय में दावा कायम मुकामान की तलबी में चल रहा था और इसमें दिनांक 03.03.2015 के बाद कोई तारीख पेशी नहीं दी गई और इसे सीधे ही दिनांक 18.05.2017 को लोक अदालत में रखा गया । मोहनी बाई और अयोध्याबाई के निशानी अंगूठा अंकित है और यह अंकित किया गया है कि अन्य प्रकरण मोहनी देवी बनाम लक्ष्मण प्रकरण संख्या 514/16 का लोक अदालत में दिनांक 12.11.2016 को निर्णय हो चुका है । अतः यह दावा खारिज किया जाता है । प्रकरण में वादी की उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है और अपीलान्ट के द्वारा अपील में जो दस्तावेजात पेश किये गये हैं उनके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.11.2016, न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 18.12.2017

और माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 15.02.2018 के विरूद्ध पेश की गई रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.01.2019 से सहायक कलक्टर, कोटा के निर्णय दिनांक 12.11.2016, न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 18.12.2017 और माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 15.02.2018 को निरस्त करते हुए प्रकरण परीक्षण न्यायालय को 06 माह के अन्दर निस्तारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया है । इस प्रकरण को पूर्व में पारित निर्णय के आधार पर बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये निरस्त किया गया है जो कि विधिक प्रावधानों एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत है । लोक अदालत में न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही पक्षकारान के मध्य कोई विधिक राजीनामा पेश किया गया है । अपीलान्ट को लोक अदालत हेतु नोटिस जारी किया गया हो इसका कोई साक्ष्य भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है ।

14. इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है । हम इस प्रकार का निस्तारण माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित प्रकरण मोहनी देवी बनाम लक्ष्मण के साथ समेकित करते हुए किया जाना उचित समझते हैं ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पैरा संख्या 13 एवं 14 में किये गये विवेचन के अनुसार इस प्रकरण का निरस्तारण नये सिरे से विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए करें । यदि संभव हो तो इसका निस्तारण प्रकरण मोहिनी देवी बनाम लक्ष्मण के साथ समेकित करते हुए करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 10.06.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

16. निर्णय आज दिनांक 22.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22/4/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा